न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 135 / 2022
GCMS CASE NO-2022/135

1 आत्माराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजियासर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री लेखराज देरासरी अपीलांट

2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 12.08.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 4 बीकेएसएम के प.न. 94/55 कि.न. 1 ता 5, प.न. 94/63 कि.न. 1 ता 3 कुल 2.024 है0 भूमि पर दिनांक 9.11.2022 द्वारा अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने व तावान किये जाने के आदेश पारित किया गया जो निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। अपीलांट को चक 4 बीकेएसएम के प.न. 94/55 कि.न. 1 ता 5, प.न. 94/63 कि.न. 1 ता 3 कुल 2.024 है0 भूमि पर दिनांक 09.11.2022 द्वारा अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने व तावान किये जाने के आदेश पारित किया गया जो निर्णय खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जारी सम्मन/नोटिस की तामीली मुझ अपीलांट पर कभी भी नहीं हुई तथा ना ही तामिल कुनिंदा द्वारा उपरोक्त नोटिस की विषयवस्तु के बारे में कभी भी मुझ अपीलांट को समझाया गया है तथा नोटिस की तामीली विधिवत नहीं है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टि से गौर किये विना वा मझे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उपरोक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है। उक्त वर्णित भूमि मुझ अपीलांट को टीसी पर आवंटनशुदा रकवा है। आवंटन किये जाने के रोज से लगातार अपीलांट काश्त करता आ रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बेदखली की कार्यवाही किये जाने से मुझ अपीलांट के हक एवं अधिकार प्रभावित होंगे तथा उपरोक्त रकबा को अपीलांट पुख्ता आवंटित करवाने की पात्रता रखने के बावजूद भी उक्त रकबा को अपने नाम से आवंटन करवाने से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निर्णय दिनांक 9.11.2022 को निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट आत्माराम पुत्र हेतराम जाति जाट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट का यह कथन कि उसे नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं करवाया गया सरासर मिथ्या है क्योंकि दिनांक 6.10.2022 को जारी नोटिस पर स्वयं आत्माराम के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 09.11.2022 यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया। अतः हम अपील अपीलांट निरस्त करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.11.2022 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय दिनांक 12.08.2024 मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner